THE RESEARCH DIALOGUE
An Online Quarterly Multi-Disciplinary
Peer-Reviewed / Refereed Research Journal
ISSN: 2583-438X
© The Research Dialogue | Volume-05 | Issue-02 | July-2026
Available online at: https://theresearchdialogue.com/
DOI : https://doi.org/10.64880/theresearchdialogue.v5i2.18

वैदिक काल में महिलाओं की भूमिका

डॉ0 तेजेन्द्र प्रताप सिंह
(चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय,मेरठ)
ई–मेल: tejendraramjas@gmail.com

शोध सारांश :

20 वी सदी के शुरूआती दशकों मे इतिहास की पुस्तकों में महिलाओं को लेकर काफी कुछ छपने लगा था। इसका प्रमुख कारण था, महिला सुधार आंदोलन। राजा राय मोहन राय जैसे समाज सुधारको ने समाज में महिलाओं की स्थिति सुधरने का काफी प्रयास किया। एस० अल्तेकर ने 1920 के दशक में हिंदू समाज में महिलाओं की स्थिति पर एक पुस्तक लिखी। इसमें इन्होंने प्राचीन सहित्यों जैसे वेदों का सहारा लिया और उन्होंने यह दर्शाने का प्रयास किया कि प्राचीन काल में महिलाओं को काफी अधिकार और स्वंतत्रता प्राप्त थी, तथा उनका काफी सम्मान होता था। परन्तु आधुनिक काल में महिलाओं की स्थिति में काफी बदलाव आया और उनकी स्थिति काफी दयनीय हो गयी। इन्होंने वैदिक काल को महिला के स्वर्ण युग कहा हैं। क्योकि वैदिक काल में महिलाएं धार्मिक क्रियाकलापों में भाग लेती थी , सभा में भाग लेती थी और उन्हें देवी समझा जाता था। इन सब तर्को के आधार पर महिलाओं को सशक्त करने का प्रयास किया गया। इस शोध पत्र के द्वारा हम वैदिक काल मे महिलाओं की स्थिति का अध्ययन करेंगें।

कुंजी शब्द : वैदिक काल,महिला,वैदिक ग्रन्थ,स्वतंत्रता,अधिकार।

वैदिक काल में महिलाओं के स्वर्ण युग के दृष्टिकोण पर कई विद्वानों ने प्रश्नचिन्ह लगाया है। समाज में महिलाओं को प्राप्त अधिकारों को लेकर प्रश्न उठाए गये। समाज में महिलाओं की स्थिति को समझने के लिए हमें महिला वर्ग की छोटी ईकाईयों को समझना होगा जैसे गृहणी की भूमिका, कामकाजी महिला आदि। साथ ही इन्हें वर्ग, जाति, व्यवसाए और धर्म आदि के अंतर्गत बांटना होगा। महिलाओं की स्थिति जैसे शब्द के स्थानों पर हमे भूमिका शब्द का प्रयोग करना होगा अर्थात महिला की समाज मे क्या भूमिका थी ना कि क्या स्थिति थी?

समाज में महिलाओं की भूमिका को पृथक रूप से नहीं समझा जा सकता । इसे समझने के लिए पुरूषों के साथ उनके लैगिक संबंध को समझना होगा । समाज में महिलाओं की भूमिका निष्क्रिय नहीं थी । हालांकि वे पुरूषों के आधीन थी फिर भी वे समाज में सक्रिय भागीदार थी। उमा चक्रवर्ती और कुमकुम रे जैसे स्त्रीवादी इतिहासकारों ने महिलाओं के निजि जीवन और सार्वजनिक जीवन में अंतर स्पष्ट किया है। उनका मानना है कि निजि और सर्वजानिक जीवन के मध्य संबंध स्थापित करने में महिलाओं की काफी अधिक भूमिका थी साथ ही राजनीतिक संरचना में भी उनका काफी महत्व था। समाज में हाऊसहोल्ड काफी महत्वपूर्ण था। घर और परिवार से महिलाओं के संबंध भी काफी महत्वपूर्ण थे। समाज में महिलाओं की भूमिका को समझने के लिए हमें कई प्रश्नों के उत्तर ढुंढने होंगे। जैसे – 1. धर्म और रिति–रिवाजों

में भूमिका 2. समाज में उनकी पहुँच 3. आर्थिक भूमिका और व्यवसाय 4. उत्पादन में उनकी भूमिका 5. उनके लैंगिकता पर नियंत्रण 6. विवाह 7. सम्पत्ति का अधिकार 8. कार्य का पारिश्रमिक। उमा चक्रवती कहती हैं कि प्रत्येक परिवार की अपनी विचार धारा होती है। विचार धारा विचारों का समूह होता है। जो शक्ति से जुडा होता है। हर परिवार अपनी अलिखित विचारधारा के अनुसार चलता है। परिवार में किस बात की अनुमति है और किस बात पर प्रतिबंध है यह इसी विचारधारा के अनुसार निर्धारित होता है।

अल्तेकर वैदिक काल में महिलाओं की चर्चा करते हुए कहते है कि इस काल में देवियों की पूजा की जाती थी, महिलाऐं मंत्रोच्चाराण करती थी। साध्वी घोसा, गार्गी लोपामुद्रा की चर्चा भी ऋग्वेद में है। महिलाएं सभा में भी भाग लेती थी। लेकिन अल्तेकर के इस विचार की आलोचना करते हुए कई प्रश्न पूछे गए है जैसे– घोसा महिला साध्वी की चर्चा तो वेद में मिलती है। परन्तु अन्य साध्वीयों की चर्चा काफी कम है। साध्वी महिलाओं के लिए कुछ श्लोक तो है परन्तु बहुसंख्याक श्लोक पुरूषों के लिए है। इसलिए हम कह सकते है कि श्लोक निर्माण मुख्यतः पुरूषों तक सीमित था। और पूरे वैदिक धर्म को देखे तो देवियों के लिए काफी कम श्लोक है। इंद्र, अग्नि और सोम तीन मुख्य देवता थे, जिनके लिए काफी श्लोक बने है। देंवियो के पूजण के आधार पर यह नही कहा जा सकता की वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति काफी सुदृढ़ थी। अल्तेकर का कहना है कि महिलाएं पुरूषों के साथ रिति–रिवाजों में भाग लेती थी। परन्तु कही भी महिलाओं को यजमान नही कहा गया है। वे यज्ञ और रितियों की शुरूआत नही करती थी बल्कि पत्नि की हैसियत से यज्ञों में भाग लेती थी । किसी भी साहित्य में महिला पुजारी या यजमान का उल्लेख नहीं है। अतः महिलाओं की धार्मिक महत्ता पर संदेह है।

महिलाओं की लैंगिकता और प्रजननता पर भी विशिष्ट नियमों के द्वारा नियंत्रण रखा जाता था। वैदिक समाज के पितृसत्तात्मक और घर में वृद्ध मुखिया, द्वारा नियंत्रण, धन के कारण महिलाओं पर काफी नियंत्रण रखा जाता था। परिवार में पुत्र संतान की कामना की जाती थी और प्रार्थनाएं की जाती थी। बेटियों के लिए प्रार्थनाओं का उल्लेख नहीं है। भिन्न–भिन्न प्रकार के परिवारों मे विवाह के लिए अलग–अलग शब्द थे, जैसे कृति पास्द्रोण आदि। विभिन्न परिवारों में अलग–अलग प्रकार की विवाह प्रथा थी। 1. विवाह एक–इस विवाह में दोनो भागीदार होते थे। 2. बहु–विवाह– इसमें दो से ज्यादा सहयोगी संलग्न होते थे। बहु–विवाह दो प्रकार के थे– 1. Polygmy –एक पुरूष की अनेक पत्नियां होना 2. Polyandry –एक महिला के अनेक पति होना। इन सभी विवाह–प्रथाओं की जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है। महिलाओं का विवाह उनके यौवनावस्था या मासिक धर्म आने के बाद होता था। महिलाओं को अपना पति चुनने का अधिकार प्राप्त था। ऋग्वेद में महिला पुनः विवाह का उल्लेख भी है। घोसा जैसे कुवारी महिलाओं की जानकारी भी ऋग्वेद से प्राप्त होती है।

जीं लर्नर का मानना है कि राज्य के विकास के साथ समाज में पुरूष प्रभुत्व काफी बढ़ गया 1500 ई० पू० से 600 ई० पूर्व तक जैसे जैसे राज्य का विकास हुआ, पुरूषो की स्थिति सुदृढ़ होती गयी।

उत्तर वैदिक काल : वैदिक ग्रंथो में परिवार और घर हाऊसहोल्ड के लिए गृह शब्द का प्रयोग हुआ है। घर का मालिक गृहपति कहलाता था। गृहस्थ आश्रम को काफी महत्व दिया जाता था । समाज में प्रजनन काफी महत्वपूर्ण था, साथ ही बेटे को जन्म देना काफी महत्वपूर्ण माना जाता था। उत्तर – वैदिक साहित्यों मे पुरूषो के बहु–विवाह के काफी कम प्रमाण है परन्तु महिलाओं द्वारा एक से ज्यादा विवाह करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। ऐतरेय ब्राह्मण में कहा गया है कि पुरूषों की अनेक पत्नियॉ हो सकती है। परन्तु पत्नियों के अनेक पति होने की मनाही है। विवाह सामाजिक जीवन के लिए काफी महत्वपूर्ण संस्कार माना जाता था। यह काफी महत्वपूर्ण संस्कार था पितृसत्तामक संरचना और वंश वर्ग

चलाने के लिए विवाह आवश्यक समझा जाता था। पति – पत्नि पिता–पुत्र के मध्य रिश्ते पदसोपान पर आधरित था और बड़े के पास ही सारा प्राधिकरण होता था। महिलाओं के लिए स्त्री आया ,योसा आदि शब्दों का प्रयोग हुआ है। कुमकुम रे मानती है कि ये सभी शब्द प्रजनन से जुड़े है अर्थात महिलाओं के प्रजनन क्षमता की ओर संकेत करते है।

गृहसूत्र मे आठ प्रकार के विवाह की बात कही गई है। दो महत्वपूर्ण जगहों पर विवाह समारोह की चर्चा है सूर्य (ऋग्वेद, 10 वा मंडल) , 2 अथवर्वद। इसमें सूर्य पत्नी और सोम वति देवता के बीच विवाह का वर्णन है। इन सूक्तों में पत्नी को काफी महत्वपूर्ण माना गया है साथ ही इसे पति को हानि पहुँचा सकने की क्षमता रखने वाली बताया गया है और कहा गया है कि इनमें पत्नियों को हानिकारक शक्ति को खत्म करने की क्षमता होती है और नए घर में स्वीकार कर ली जाती है। उत्तर वैदिक साहित्यों में हमें महिलाओं के प्रति अपनाए गए कुछ साकारात्मक दृष्टिकोण भी देखने को मिलते है जैसे शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है कि पत्नि पति का आधा अंग होती है और उसे पूर्ण करती है। गृहसूत्र में पत्नि के रूप में शिक्षित महिलाओं को महत्त्वता प्रदान की गई है। वही दूसरी और हमें महिलाओं के प्रति अपनाए गए नाकारात्मक दृष्टिकोण का भी पता चलता है। महिलाओं को यज्ञों के शुरूआत करने की अनुमति नहीं थी। कई बार महिलाओं के स्थान पर पुतले का भी प्रयोग किया जाता था।

भगवत गीता और धर्मशास्त्रों में महिलाओं की तुलना शुद्रो, से की गई है। शतपथ ब्राहाण में महिला, शुद्र, कुत्ता और कौएं को अनरितम कहा गया है। अनरितम का अर्थ है असत्य महिलाओं से अपेक्षा की जाती थी। वे कुवारी रहे। विवाह महिलाओं के लिए आवश्यक था। बेटियां के जन्म को बडी आपदा माना जाने लगा बेटों के जन्म को महत्वपूर्ण माना जाता था। उनके जन्म होने पर पुमसवाना नामक संस्कार होते थे। बेटियों के जन्म पर कोई संस्कार नहीं होता था। अथर्ववेद के एक श्लोक में महिला भ्रूण को पुरूष मे बदलने के लिए प्रार्थना की गई है। उत्तर –वैदिक साहित्यों में महिलाओं को सभा में जाने का अधिकार नहीं था। महिलाओं की उपहार में दिया जाने और संभवतः विनियम का माध्यम बन गया। महिलाओं का दान देने का भी उल्लेख भी ना के बराबर है। केवल जब कोई ब्रहाचारी विद्यार्थी भिक्षा माँगने जाता था तो पहली भिक्षा उसकी माँ या गुरूमाता देती थी।

जैसे–जैसे समाज वर्गो में बँट रहा था और राज्य शक्तिशाली हो रहा था, महिला की पुरूषों पर निर्भरता में वृद्धि हो रही थी। महिलओं के दूध निकालनें, खेतो में काम करने, बुनाई का काम करने साध्वी बनने, बॉस तोडना, ऊन बनाने का कार्य करने आदि का उल्लेख हमें वैदिक साहित्यों से प्राप्त होता है।

उपरोक्त वर्णन के द्वारा हम यह कह सकते है कि पूर्व वैदिक काल में महिलाओ के स्थिति उत्तर वैदिक काल की अपेक्षा अधिक सुदृढ़ थी। और महिलाओं की सभा, समिति में भी भागीदारी थी तथा घोषा लोपामुद्रा, सुलभा, मैत्रयी, गार्गी जैसी साध्वीयों का उल्लेख वैदिक साहित्यों से मिलता है। जबकि उत्तर वैदिक काल में महिलाओं के अधिकारों में कमी होने लगी और उन्हे केवल कामकाजी महिला के रूप में देख जाने लगा और उनके सम्पत्ति अधिकारों में कमी देखने को मिलती है।

सन्दर्भ सूची

1. Altekar, A.S.- The Position of women in Hindu Civilization, Delhi: Motilal Banarsidas, 1983
2. Chaudhary, J.B- Women In Vedic Retuals Calcutta, Pracyavani 1956
3. Dharmam, P.C. - The Status of Women In The Vedic Age, Journal of Indian History. (1948)
4. Roy, Kum Kum - Women In Early Indian Societies, Delhi Manohar, 2002.
5. Shastri, S.R. -Women in the Vedic Age, Bombay BhartiyaVidhya Bhavan 1960.

Cite this Article:

सिंह..डा0 तेजेन्द्र प्रताप (2026). वैदिक काल में महिलाआं की भूमिका" The Research Dialogue, Open Access Peer-reviewed & Refereed Journal, **5(2), 163–166.**, Volume-05, Issue-02, July-2026, **DOI :** https://doi.org/10.64880/theresearchdialogue.v5i2.18,

This is an Open cess Journal / article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License CC BY-NC-ND 3.0) which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. All rights reserved.

Disclaimer/Publisher's Note: The views, findings, and opinions expressed in this publication are solely those of the author(s). The publisher and editorial team are not responsible for any errors, claims, or consequences arising from the use of the published content.

CERTIFICATE

of Publication

This Certificate is proudly presented to

डॉ0 तेजेन्द्र प्रताप सिंह

For publication of Research Paper title

वैदिक काल में महिलाओं की भूमिका

Dialogue' Peer-Reviewed / Refereed Research Journal and E-ISSN: 2583-438X, Volume-05, Issue-02, Month July, Year-2026, Impact Factor (RPRI-4.73/ 6.79)

Dr. Lohans Kumar Kalyani
Editor- In-chief

Dr. Neeraj Yadav
Executive-In-Chief- Editor

Note: This E-Certificate is valid with published paper and the paper must be available online at: https://theresearchdialogue.com/

DOI : https://doi.org/10.64880/theresearchdialogue.v5i2.18